

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/ओआरडी/विविध/195/11/2023

Ref. No.: IRDAI/GA&HR/ORD/MISC/195/11/2023

दिनांक / Date: 3-11-2023

आदेश
ORDER

डिजिटल यात्रा की प्रक्रिया के भाग के रूप में ऐसी कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव करनेवाले बीमा हितधारक जो पालिसीधारकों, बीमा हितधारकों आदि को निर्बाध रूप में विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजारस्थान विकसित करेगी। हितधारकों ने प्राधिकरण से यह भी अनुरोध किया है कि उक्त प्लेटफॉर्म के विकास के लिए आवश्यक विनियामक ढाँचा (नियम / विनियम) उपलब्ध कराया जाए। As part of the digital journey process, the insurance stakeholders proposing to set-up a company which would develop an Insurance Electronic Marketplace for providing various services to the policyholders, insurance stakeholders etc. in a seamless manner. The stakeholders have further requested the Authority to provide necessary regulatory framework (rules / regulations) for development of the platform.

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आईआरडीएआई (बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजारस्थान) विनियम, 2023 का प्रारूप तैयार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया गया है:-

In view of the above, a Committee consisting of the following members have been constituted to prepare the Draft IRDAI (Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2023:-


- डॉ. ममता सूरी, कार्यकारी निदेशक (वित्त व निवेश), आईआरडीएआई - अध्यक्ष;
Dr. Mamta Suri, Executive Director (F&I), IRDAI - Chairperson;
- सुश्री जे. मीना कुमारी, कार्यकारी निदेशक (जीवन), आईआरडीएआई - सदस्य;
Ms. J. Meena Kumari, Executive Director (Life), IRDAI - Member;
- श्री रणदीप सिंह जगपाल, कार्यकारी निदेशक, गैर-जीवन विभाग, आईआरडीएआई - सदस्य;
Mr. Randip Singh Jagpal, ED, Non-Life Department, IRDAI - Member;
- श्री नवीन ताहिल्यानी, सीईओ, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - सदस्य;
Mr. Naveen Tahilyani, CEO, Tata AIA Life Insurance Company Ltd. - Member;
- सुश्री सगीना ए., उप. महाप्रबंधक (विधि), आईआरडीएआई - सदस्य;
Ms. Sageena A., Dy. General Manager (Legal), IRDAI - Member;
- श्री केशव राव ए., सहायक महाप्रबंधक (टीम इंश्योरटेक), आईआरडीएआई - सदस्य संयोजक
Mr. Keshava Rao A., Asst. General Manager (Team InsurTech), IRDAI - Member Convenor

3. समिति आदेश जारी करने की तिथि से 7 दिनों की अवधि के भीतर आईआरडीएआई (बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजारस्थान) विनियम, 2023 का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करेगी।

The Committee would submit the Final Draft of IRDAI (Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2023 within a period of 7 DAYS from the date of issuance of the Order.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

This has approval of the Competent Authority.


मुख्य महाप्रबंधक / CGM
(सा.प्र. & मा.सं.) / (GA & HR)